

28 ⁰³/₁₇

11/5/2012

वकील प्राची/अप्राची उप-अनु-पत्रावली
राज्य लोक अदालत शा.पं. राजकोट
में दिनांक 11/5/17 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

~~पत्रावली~~
~~कम~~

~~पत्रावली में माप शक्यता के अभाव में लानका में
पेश हुई पत्रावली को पत्रावली में शामिल नहीं
करा जा सकता है। शपीनामा का प्रस्तावना में
शपीनामा में उल्लेख पत्रावली में प्रथम अंक में
विकास नहीं होने के कारण ही अब इसे लानका
जहाँ नहीं है।~~

अप्री
दीनाराज

~~शपीनामा पं.पं. सुभाष, पत्रावली में
श्रीमान श्रीमान / अतः शपीनामा नहीं है।
अतः शपीनामा में उल्लेख पत्रावली में
सहित में से काट करी जा रहा है।
श्रीमान श्रीमान है।
पत्रावली में लानका सुभाष उल्लेख नहीं है।
कम है।~~

15
(~~श्रीमान श्रीमान~~)
RDS
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राजो)